





# कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

पत्रांक:- 928/EE-7/23

दिनांक 18/3/2024

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हरदोई रोड स्थित बसन्तकुंज योजना के अन्तर्गत सेक्टर-एच में एल0आई0जी0 श्रेणी के भूखण्डों के संशोधित पार्ट ले-आउट की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अध्याय-3 के प्रस्तर 3.1.5 के अनुसार वैधता नियमतः दिनांक 30.01.2024 से 29.01.2029 है। वैधता तिथि का विस्तार लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नियमतः तीन वर्षों के लिए होता है। तदक्रम में आवश्यकतानुसार वैधता तिथि के विस्तार हेतु बैठक आहूत की जायेगी।

अधिसासी अभियन्ता जोन-7